फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

गोमती आदि बनाम कृष्णलाल वगैरह

किस्म मुकदमाः—212 आर0टी0ए प्रकरण संख्याः—56/2024 (GCMS No. 2024/146)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के चक 4 पीपीएन खाता संख्या 70 पत्थर संख्या 133/41 (44) कि0न0 1 ता 25/2 की 6.198 हैक्टर अ0क0, पत्थर संख्या 133/57 (42) कि0न0 8 ता 25/2 की 4.427 हैक्टर अ0क0 कुल 10.625 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि ब0हि0बराबर 1/5–1/5 हिस्सा जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है। उक्त जैरवाद रकबा पूर्व में प्रार्थीगा व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता नानूराम के नाम से अंकित थी। जो उनके देहान्त के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से विरास्तन दर्ज हुआ है। हमारे पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर कब्जा मौका पर सौंप दिया था। तब से प्रार्थीगण अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि पर संयुक्त रूपसे काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में ही घरू बंटवारा में मिली भूमि को अपनी शारीरिक मेहनत व अपनी पूंजी खर्च कर समतल बनाया है तथा काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में जबरन घूसना तथा कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, प्रार्थीगण की सुधारी हुई भूमि अजनबी व्यक्तियों को दिखाकर अपने हिस्सा की भूमि का बेचान कर देगें। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण का ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 26.02.2024 को जारी टी0आई0 वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 2–3 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नगत भूमि स्वयं काश्त की जाती थी। उनके जीवनकाल में कोई बंटवारा नही हुआ था। मात्र प्रार्थना पत्र को रंग देने के लिये यह तथ्य अंकित किये गये है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम अंकित रकबा संयुक्त खाता का है एवं दो भागों में विभाजित है। संयुक्त खाता की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक छोटे भाग पर बराबर हक होता है। किसी एक भाग को बताकर खाता विभाजन नही करवा सकता है। संयुक्त खाता की भूमि में एक खातेदार द्वारा अन्य खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है। अप्रार्थीगण अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर खाता विभाजन करवाने हेतु सहमत है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रश्नगत रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खाता का है। जिसमें प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया है। जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के मध्य कोई घरू बंटवारा हुआ हो। प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है। इसलिये अंकित खातेदार काश्तकार को [illegible] करने से पांबद किया जाना उचित नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. निरस्त किया जाकर दिनांक 26.02.2024 को जारी टी0आई0 भी निरस्त किया जाना समुचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. निरस्त किया जाकर दिनांक 26.02.2024 को जारी टी0आई0 भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)